पटना में दिनांक—13 मार्च, 2018 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1.	गोपालगंज पुलिस केन्द्र के निर्माण हेतु 19.80 एकड़ भूमि के भू—अर्जन के लिये कुल संशोधित प्राक्कलित राशि ₹ 57,79,33,272 (संतावन करोड़ उनासी लाख तेंतीस हजार दो सौ बहत्तर रू०) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

2.	सोन पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर के अवशेष कार्य का पुनर्स्थापन एवं सेवापथ का मरम्मति कार्य (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि—15901.86 लाख रूपये (एक सौ उनसठ करोड़ एक लाख छियासी हजार रूपये)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	2.	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

3.	पटना स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017—18 में उपबंधित केन्द्रांश की विमुक्ति के प्रत्याशा में राज्यांश के रूप में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रू० की निकासी राज्य कोषागार से किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

4.	बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के अंतर्गत संचालित पुराने कैन्टीन तथा नवनिर्मित विधान मंडल ब्लॉक एवं सचिवालय ब्लॉक तथा नियोजन भवन में कैन्टीन संचालन के लिए सहायक प्रबंधक के 02 पद, उप प्रबंधक के 02 पद कुल—04 तथा समूह—'ग' के मूल लिपिकीय पद—07, उच्च वर्गीय लिपिकीय पद—02, प्रधान लिपिक के 01 पद कुल—10 पदों एवं समूह—'घ' के मूल कोटि के 191 पद कोटि—2 प्रोन्नति के 82 पद, कोटि—1 प्रोन्नति के 34 पद, कुल—307 पदों यानि सर्वयोग 321 पदों के नियमित सृजन के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

5.	भारत सरकार के पत्र No.11-36/2016-CD.1 दिनांक–23.11.2017 तथा पत्र F.No. CD-II-14/2/2017-CD-II दिनांक–08.12.2017 के आलोक में Umbrella ICDS के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई०सी०डी०एस०) का नाम 'ऑगनबाडी सेवाएँ', राजीव गाँधी नेशनल क्रेश स्कीम का नाम 'नेशनल क्रेश स्कीम' एवं बाल संरक्षण योजना का नाम 'बाल संरक्षण सेवाएँ' करने, आई०सी०डी०एस० स्थापना मद में केन्द्रांश–राज्यांश के अनुपात में परिवर्त्तन करने, ऑगनबाड़ी केन्द्र के उत्क्रमण एवं मरम्मति के दरों में परिवर्त्तन करने, नई योजना यथा–सरकारी ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों में शौचालय का निर्माण, पेयजल सुविधा एवं परियोजना कार्यालय में आधार पंजीकरण के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

6.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर विभिन्न वर्षों/चरणों में नियोजित 88 कनीय अभियंता (असैनिक) को संविदा अवधि समाप्ति के, अगली तिथि से तथा 4 कनीय अभियंता (असैनिक) को उनके पुनर्नियोजन के उपरान्त पदस्थापन की तिथि से एक और वर्ष के लिए वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर पुनर्नियोजन के स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर विभिन्न वर्षों/चरणों में नियोजित 15 कनीय अभियंता (यांत्रिक) को संविदा समाप्ति अवधि के अगले दिन से एक और वर्ष के लिए वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8.	एल०पी०ए० संख्या–17/2016 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम तेज नारायण लाल (Arising out of C.W.J.C. No. 3240/2009) में दिनांक–22.12.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री लाल को दिनांक–22.12.2016 से नीलमुद्रक के पद पर पुनर्स्थापित करने एवं बकाया भुगतान के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

9.	श्री शिवनन्दन साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल संख्या–02, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित भवन निर्माण विभाग, पटना के विरूद्ध आय के ज्ञात श्रोत से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना द्वारा दर्ज आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–28/2013 दिनांक–11.07.2013 धारा–13(2)–सह–पठित धारा–(1)(e) के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरापों के लिए "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्ड की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

10.	श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के अन्तर्गत उप प्राचार्य तथा प्राचार्य का पुनरीक्षित वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

11.	नालन्दा, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी जिला में स्थापित एवं संचालित क्रमशः नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी, बी॰पी॰मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी में स्कीम मद के अधीन प्रतिसंस्थान सृजित 64 (चौंसठ) शैक्षणिक एवं 46 (छियालीस) गैर शैक्षणिक पदों अर्थात कुल 192 शैक्षणिक एवं 138 गैर शैक्षणिक पदों का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में स्थानान्तरण तथा प्रतिसंस्थान गैर शैक्षणिक के 10 (दस) अतिरिक्त पद अर्थात कुल 30 पदों के सृजन की स्वीकृति।	11.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

12.	विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व से नियोजित कुल 33 (तैंतीस) व्याख्याताओं को नियमित नियुक्ति होने अथवा संविदा समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

13.	वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2017–18 अंतर्गत मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर में प्रथम चरण में कुल 272 शैय्या के भवन निर्माण के साथ उसमें Boundary wall, Central Air-conditioning Plant, Furniture, Lift, Solar water heating system, Sewage treatment plant, Water treatment plant and Medical equipment हेतु कुल रूपये 1,28,96,00,000/– (एक अरब अठ्ठाइस करोड़ छियानवे लाख) (सेन्टेज चार्ज सहित) की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 14. **स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

15. ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY) अन्तर्गत 100 से 249 तक की आबादी वाले 4643 सर्वेक्षित अनजुड़े टोलों/बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA) द्वारा National Bank for Agriculture And Rural Development (NABARD) के NABARD Infrastructure Development Assistasnce (NIDA) से ₹ 2820.41 करोड़ (₹दो हजार आठ सौ बीस करोड़ इकतालीस लाख) ऑफ–बजट ऋण प्राप्त करने के लिए NABARD के साथ Sanction Lettler के Special Terms and Conditions सहित Delivery Letter to DPN, Demand Promissory Note, Board Resolution, Loan Agreement, Guarantee Deed, Tripartite Debt Reserve Account (DSRA) Agreement पर BRRDA के स्तर से हस्ताक्षर करने तथा Loan के मूलधन एवं ब्याज के Repayment के लिए Principal Repayment Schedule एवं ब्याज भुगतान पर सहमति प्रदान करने के संबंध में। — 15. **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2016–17 में समर्पित आवेदनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2017–18 एवं अनुवर्ती वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पाने के योग्य परन्तु केन्द्र द्वारा सीमित कोटा होने के कारण छात्रवृत्ति लाभ से वंचित रह गये छात्र/छात्राओं को राज्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के लाभ से अच्छादित करने का प्रस्ताव। — 16. **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition (C) Nos. 654-656 of 2015 in Civil Appeal No. 4201 of 2011 & Civil Appeal Nos. 3937-3938/2011 में दिनांक–23.01.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में मौसमी कर्मियों (Seasonal Workers) के हेतु स्वीकृत पुनरीक्षित Exit Settlement Plan में 100 प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति। — 17. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

18. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका 292 XII एवं 293 XI में संशोधन तथा कंडिका–294 IX(xviii) का अतिरिक्त प्रावधान करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. गया जिलान्तर्गत बोधगया अंचल के मौजा–टेकुना, थाना सं०–352, खाता सं०–90, खेसरा सं०–534, रकबा–0.33 एकड़ पशुपालन विभाग की भूमि Intelligence Bureau के कार्यालय एवं आवास निर्माण हेतु 75,000/– (पचहत्तर हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 0.33 एकड़ भूमि का बाजार मूल्य 24,75,000/– (चौबीस लाख पचहत्तर हजार) रू० सलामी एवं सलामी का दो प्रतिशत वार्षिक लगान का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य 12,37,500/–(बारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) रू० अर्थात कुल मूल्य 37,12,500/– (सैंतीस लाख बारह हजार पाँच सौ) रू० के भुगतान पर Intelligence Bureau, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. नवादा जिलान्तर्गत नवादा सदर अंचल के मौजा–बुधौल में थाना नं०–375, खाता सं०–251, खेसरा सं०– 1100 एवं 1097, कुल रकबा–7.50 एकड़ गैर मजरूआ खास (अनाबाद बिहार सरकार पुरानी परती) भूमि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

21. दिनांक–12.03.2013 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–11 के रूप में सम्मिलित स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द कर तारामंडल, पटना में आधुनिक तकनीक पर आधारित 8K-3D/2D Active Digtal नया प्रोजेक्शन सिस्टम का क्रय एवं अधिष्ठापन का कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना द्वारा किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

22. भारत सरकार के पत्र F.N-NNM/7/2017-WBP दिनांक–18 दिसम्बर, 2017 द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrution Mission) को बिहार राज्य के सभी जिलों में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश एवं संशोधन के अनुसार संचालित करने तथा सिवान जिला जिसे इस योजना में भारत सरकार द्वारा सम्प्रति सम्मिलित नहीं किया गया है में भी जब तक भारत सरकार इस योजना को लागु नहीं करती है तब तक शत प्रतिशत राज्यांश मद से ही समरूप तरीके से संचालित करने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

23.	राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बेगूसराय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (CCIM) के न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्ड को पूरा करने के उद्देश्य से दो नये विभाग "पंचकर्म विभाग" एवं कौमारभृत्य (बालरोग) विभाग का सृजन करते हुए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल–47 पदों के सृजन के संबंध में।	**23.**	**स्वीकृत।**

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

24.	बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन देने के संबंध में।	**24.**	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

25.	श्री मदन मोहन प्रसाद, से०नि० विशेष सचिव, वित्त विभाग की निदेशक (अन्वेषण), सांस्थिक वित्त के पद पर संविदा पर नियोजन को दिनांक–15.04.2018 से आगे पुनः 67 वर्ष की आयु अर्थात् दिनांक–04.07.2018 तक के लिए विस्तारित करने के संबंध में।	**25.**	**स्वीकृत।**